रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092020-221719
CG-DL-E-14092020-221719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2020/भाद्र 23, 1942
No. 447] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2020/BHADRA 23, 1942

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14, सितंबर,2020

सा.का.नि. 553(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30क के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ख) एवं उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-** (1) इन नियमों को रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये 24 सितंबर, 2012 से लागू माने जाएंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में उप-नियम (5) के बाद और परंतुक से पहले, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6)(i) पुराने मामलों में वित्तीय लाभ दिनांक 24 सितंबर, 2012 से प्रोद्भूत होंगे।

(ii) यह उन सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होगा जिन्होंने रेल दावा अधिकरण में दिनांक 12.02.2020 से पहले पदग्रहण किया है:

[फा.सं. 2012/टीसी(आरसीटी)/4-3/सीए-III]

विवेक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (जन शिकायत)

स्पष्टीकारक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव दिए जाने से कोई भी सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा |

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844(अ.) दिनांक 19 सितंबर, 1989 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1086(अ), दिनांक 05 नवम्बर, 2018 के तहत आखिरी बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2020

G.S.R. 553(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 30, read with section 30A of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989, namely:-

1. **Short Title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of September 2012.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 8, after sub-rule (5) and before proviso the following shall be inserted, namely:-

"(6)(i) The financial benefits in past cases will accrue with effect from 24th September, 2012.

(ii) This will be applicable to all the retired Members who have joined Railway Claims Tribunal before 12.02.2020:

[F. No. 2012/TC(RCT)/4-3/CA-III]
VIVEK SRIVASTAVA, Executive Director (Public Grievances)

Explanatory Memorandum: It is certified that, by giving this notification retrospective effect no Member shall be adversely affected.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub Section (i) vide notification number G.S.R. 844(E), dated the 19th September, 1989 and last amended vide notification Number G.S.R.1086(E), dated the 5th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.14 22:14:27 +05'30'